विहंगावलोकन

1. सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों का विहंगावलोकन

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे सम्बंधित विधानों के तहत् होती है। 31 मार्च 2013 को राजस्थान में 46 कार्यरत सार्वजनिक उपक्रम (43 कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) एवं दो अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियाँ) थे, जिसमें एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2012-13 हेतु ₹ 33486.33 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य जीडीपी के सात प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2013 को 48 पीएसयूज में ₹ 72018.13 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2007-08 के ₹ 21997.39 करोड़ से 227.39 प्रतिशत बढ़ गया। 2012-13 में ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, कुल निवेश का 92.31 प्रतिशत था। सरकार ने 2012-13 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 8570.76 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2012-13 में, कार्यरत 46 पीएसयूज में से, 18 पीएसयूज ने ₹ 1071.40 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 26 पीएसयूज ने ₹ 14782.25 करोड़ की हानि वहन की। शेष दो पीएसयूज में से राजस्थान राज्य रिफाइनॅरी लिमिटेड में वर्ष 2012-13 हेतु न लाभ व न हानि थी एवं कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड ने 2006-07 में अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 615.83 करोड़) एवं राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 271.39 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। तीन विद्युत वितरण कम्पनियों (जोविविनिलि- ₹ 6178.90 करोड़, जविविनिलि- ₹ 4161.23 करोड़ एवं अविविनिलि- ₹ 3904.73 करोड़) ने भारी हानि वहन की थी।

हानियाँ पीएसयूज के क्रियाकलापों में विभिन्न कमियों के कारण हैं। सीएजी के नवीनतम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के पीएसयूज ने ₹ 96.67 करोड़ की ऐसी हानि उठायी जो कि बेहतर प्रबंधन द्वारा नियंत्रण योग्य थी।

इस प्रकार, कार्यप्रणाली में सुधार कर लाभों को बढ़ाने की अत्यधिक सम्भावनाऐं है। पीएसयूज अपनी भूमिका को कुशलतापूर्वक तभी निभा सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। पीएसयूज की कार्यप्रणाली में व्यावसायिकता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2012 से 30 सितम्बर 2013 तक अंतिम रूप दिये गये

59 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 24 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र, दो लेखों पर अस्वीकृति एवं 11 लेखों पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 111 मामले थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने कम्पनियों के आन्तरिक नियत्रंण पर प्रतिवेदनों में अनेक क्षेत्रों में कमियाँ इंगित की।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2013 को 13 कार्यरत पीएसयूज के 21 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के लेखे दो वर्षों हेतु बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

(अध्याय I)

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की निष्पादन लेखा परीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षो का कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है।

'राजस्थान टूरिज्म डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड' (कम्पनी) राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार (जीओआर) की एक नोडल एजेन्सी है। कम्पनी की मुख्य गतिविधियों में पर्यटकों के लिए होटल्स/मोटल्स में आवास व खान-पान सुविधा, पर्यटक ट्रेनों का संचालन, चयनित होटल्स/मोटल्स में बार सुविधा, पैकेज टूर, परिवहन एवं नौकायन सुविधायें सम्मिलित हैं। मार्च 2013 को कम्पनी 45 होटल्स/मोटल्स, दो पर्यटक ट्रेन यथा पैलेस ऑन व्हील्स (पीओडब्ल्यू) व रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स (आरआरओडब्ल्यू) का संचालन कर रही थी।

वित्तीय रूपरेखा

कम्पनी की वित्तीय स्थिति कमजोर रही क्योंकि इसने 2007-08 में ₹ 0.05 करोड़ का मामूली लाभ अर्जित किया एवं तत्पश्चात् लगातार हानियाँ वहन की जिससे मार्च 2012 के अन्त तक संचित हानियाँ ₹ 72.12 करोड़ हो गई। केवल पीओडब्ल्यू एवं पैकेज्ड टूर ने लाभों में योगदान दिया जबकि अन्य समस्त गतिविधियाँ यथा होटल्स/मोटल्स (आवास, खानपान आदि को सम्मिलित करते हुए) एवं आरआरओडब्ल्यू ने मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान हानि वहन की थी।

राज्य पर्यटन नीति का नियोजन एवं क्रियान्वयन

कम्पनी ने पर्यटन नीति 2001 को कार्यान्वित किये जाने हेतु कोई कदम नहीं उठाया था। पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन के आधारभूत ढाँचे के विकास के लिए दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना या नीति तैयार नहीं की गई थी। कम्पनी ने, पुष्कर में एक कैम्पिंग साइट (गनेड़ा) के अलावा, किसी भी परियोजना के विकास हेतु न तो कोई भूमि अवाप्त की न ही आवंटित करवायी। उक्त कैम्पिंग साइट अक्टूबर 2009 में ₹ 2.02 करोड़ की लागत से विकसित की गई थी एवं लाभदायकता के अभाव के कारण 2012 में बन्द करनी पड़ी थी।

कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले विदेशी पर्यटकों की प्रतिशतता 2007-13 के दौरान 0.38 (6076) से घटकर 0.14 (2247) रह गई। कम्पनी की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले घरेलू पर्यटकों की प्रतिशतता भी 2007-13 के दौरान 0.79 से घटकर 0.58 रह गई। कम्पनी के समग्र निष्पादन में गिरावट का रुख रहा क्योंकि 2007-08 में कम्पनी

की आवास सुविधा का उपयोग करने वाले 2.21 लाख पर्यटकों (0.77 प्रतिशत) के समक्ष 2012-13 में इनकी संख्या घटकर 1.71 लाख (0.56 प्रतिशत) रह गई।

परिचालन निष्पादन एवं बजटीय विश्लेषण

2007-08 से 2011-12 के दौरान संचालित 45 से 47 होटल्स/मोटल्स में से, 34 से 39 (76 से 85 प्रतिशत) होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की थी। कम्पनी ने 2007-12 के दौरान होटल्स/मोटल्स के संचालन में ₹ 7.82 करोड़ की हानि वहन की। कम्पनी, पीओडब्ल्यू (2007-09) एवं आरआरओडब्ल्यू (2010-12) के सिवाय, सभी पाँच वर्षों के दौरान किसी भी गतिविधि में लाभदायकता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी। बजटीय अधिशेष हमेशा उच्च रहा जब इसकी तुलना वास्तविक से की गई एवं 2007-12 के दौरान विचलन, आवास के संबंध में 28.33 से 85.62 प्रतिशत, खानपान के संबंध में 24.35 से 105.49 प्रतिशत, बार के संबंध में 36.30 से 60.83 प्रतिशत एवं परिवहन व नौकायन के संबंध में 33.59 से 170.37 प्रतिशत के मध्य रहा।

आवास गतिविधि

2007-12 के दौरान 52.17 से 71.11 प्रतिशत के मध्य होटल्स/मोटल्स ने हानि वहन की। अधिभोग 2007-13 के दौरान 42 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत रह गया जो कि अखिल भारतीय औसत अधिभोग से बहुत कम था। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयासों के अभाव के कारण प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों पर स्थित होटल्स/मोटल्स भी पर्यटकों को आकर्षित करने में विफल रहे थे।

कम्पनी ने होटल्स/मोटल्स, विलासिता ट्रेनों, यात्रा पैकेज एवं इसके द्वारा प्रस्तावित अन्य सुविधाओं के प्रोत्साहन को सुनिश्चित करने हेतु कोई विपणन या विज्ञापन नीति तैयार नहीं की थी।

खान-पान गतिविधि

50 प्रतिशत से अधिक होटल्स/मोटल्स ने 2007-12 के दौरान खान-पान गतिविधि में ₹ 5.24 करोड़ की परिचालन हानि वहन की। 2007-12 के दौरान 29 से 35 होटल्स/मोटल्स ने कच्चे माल (अपव्यय सहित) पर निर्धारित मानदण्डों से अधिक व्यय किया जबकि 5 से 25 होटल्स/मोटल्स ने ईंधन पर अधिक व्यय किया। कच्चे माल एवं ईंधन के अधिक उपभोग के परिणामस्वरूप मार्च 2012 को समाप्त हुये पाँच वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 2.69 करोड़ एवं ₹ 6.47 लाख का अधिक व्यय हुआ।

पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू

पीओडब्ल्यू एक लाभदायक उद्यम है एवं इस गतिविधि से अधिशेष 2007-12 में ₹ 8.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 9.64 करोड़ हो गया। तथापि, इसी अवधि के दौरान ट्रेन का अधिभोग 100 प्रतिशत से गिरकर 80.12 प्रतिशत हो गया जो कि 2012-13 के दौरान और कम होकर 66.63 प्रतिशत हो गया। अधिशेष में वृद्धि का कारण टैरिफ में वृद्धि था जिसमें अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 के दौरान विभिन्न श्रेणियों में 19.33 से 32.35 प्रतिशत के मध्य वृद्धि हुई।

आरआरओडब्ल्यू का निष्पादन खराब रहा क्योंकि कम्पनी 2009-13 के दौरान वार्षिक 34 फेरों की प्रस्तावित संख्या के समक्ष 16 से 23 के मध्य ही फेरे संचालित कर सकी। पर्यटकों की प्रतिक्रिया खराब थी एवं कम्पनी मार्च 2013 तक केवल 49.20 प्रतिशत अधिभोग ही प्राप्त कर सकी। 2011-12 के दौरान 58 प्रतिशत का उच्च अधिभोग फेरों की घटी हुई संख्या के कारण था। आरआरओडब्ल्यू परियोजना, भारत सरकार की पर्यटन क्षेत्र में वृहद राजस्व अर्जन करने वाली योजना में शामिल थी परन्तु कम्पनी ने ₹ 3.27 करोड़ की राशि के कम अनुदान का दावा किया।

केन्द्रीय/राज्य से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

कम्पनी केन्द्रीय सहायता प्रदान कार्यों को स्वीकृति की तिथि से 12 से 36 माह की नियत पूर्णता अवधि के भीतर पूर्ण नहीं कर सकी। 2007-13 के दौरान निष्पादित कुल 120 कार्यों में से 65 कार्य एक से 44 महीनों के विलम्ब से पूर्ण किए गये थे। इनमें से 20 कार्यों के लिए निविदाएं कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त होने से 19 माह तक की अवधि के पश्चात् आमंत्रित की गई थी। परियोजना-वार कोषों की प्राप्ति एवं प्रत्येक परियोजना के समक्ष किए गये व्यय का विवरण संधारित नहीं किया था एवं मार्च 2013 को ₹ 1.08 करोड़ के कोष अप्रयुक्त पड़े थे। कम्पनी ने 23 कार्यों में स्वीकृत कोष से ₹ 96 लाख का अधिक व्यय किया एवं इसे अप्रयुक्त कोषों से समायोजित किया। राज्य सरकार द्वारा 2007-13 के दौरान सौंपे गये 64 कार्यों में से, 2010-12 के दौरान आवंटित 11 कार्य, निविदाओं के आमंत्रण में विलम्ब करने एवं ठेकेदारों द्वारा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण पूर्ण होने के लिये लंबित थे (अक्टूबर 2013)। साथ ही स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, 2012-13 के दौरान आवंटित 10 कार्यों में से नौ कार्य मार्च 2013 तक पूर्ण किये जाने थे एवं एक कार्य मार्च 2014 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, केवल तीन कार्य अक्टूबर 2013 तक पूर्ण हुये थे।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में सात अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें पर्यटन नीति का क्रियान्वयन एवं राज्य में पर्यटन ढांचे के विकास तथा पर्यटन के संवर्धन हेतु दीर्घावधि/अल्पावधि कार्यवाही योजना तैयार करना, लक्ष्यों की प्राप्ति एवं समर्थन हेतु वास्तविक बजट एवं कार्यवाही योजना तैयार करना, उत्तम विपणन एवं सुविधाओं में सुधार करके अधिभोग को बढ़ाना, स्वाद्य लागत को मानदण्डों के भीतर लाना, पीओडब्ल्यू एवं आरआरओडब्ल्यू के अधिभोग में सुधार हेतु कार्यवाही योजना तैयार करना, परियोजनाओं की पूर्णता हेतु केन्द्र/राज्य की मार्गदर्शिका की अनुपालना करना तथा आंतरिक लेखापरीक्षा एवं सतर्कता कार्य में सुधार लाना सम्मिलित है।

(अध्याय II)

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान वित्त निगम द्वारा 'ऋणों की वसूली' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर कार्यकारी सारांश नीचे दिया गया है।

राजस्थान वित्त निगम (निगम) का गठन (17 जनवरी 1955) राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध करवाने हेतु राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 (एसएफसी अधिनियम) के अन्तर्गत किया गया था। 2008-09 से 2012-13 की अवधि के दौरान, निगम ने ₹ 1778.72 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये, जिसमें से ₹ 1364.57 करोड़ का वितरण विभिन्न औद्योगिक इकाईयों को किया गया था। इस अवधि में कुल वसूलियाँ ₹ 596.55 करोड़ के पूर्व-भुगतान सहित ₹ 2091.62 करोड़ की थी।

वित्तीय स्थिति एवं व्यवसाय निष्पादन

निगम की वित्तीय स्थिति कमजोर थी क्योंकि संचित हानियाँ 2008-09 में ₹ 53.58 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 130.10 करोड़ हो गई थी। 2008-13 के दौरान व्यवसाय संचालनों के वित्त पोषण का प्रमुख स्रोत मूलधन की वसूली था क्योंकि सिडबी एवं अन्य बैंकों से उधारियाँ उनसे लिये गये ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु भी पर्याप्त नहीं थी। वर्ष के दौरान शुद्ध संग्रहणीय राशि से कम (65.90 एवं

81.09 प्रतिशत के मध्य) लक्ष्य निर्धारण के बावजूद वसूली लक्ष्यों में कमी रही। 2008-13 के दौरान निगम के व्यवसाय प्रदर्शन में तीव्र गिरावट हुई क्योंकि स्वीकृतियाँ ₹ 473 करोड़ से घटकर (75.90 प्रतिशत) ₹ 114 करोड़ हो गई जबकि वितरण ₹ 340 करोड़ से घटकर (59.12 प्रतिशत) ₹ 139 करोड़ हो गये। पाँच शाखा कार्यालयों द्वारा 2012-13 के दौरान कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई थी।

प्रमुख मापदण्डों के समक्ष वसूली निष्पादन

गैर निष्पादन सम्पत्तियाँ (एनपीए)

निगम, राजस्थान सरकार एवं सिडबी के मध्य दिसम्बर 2003 में निष्पादित (जुलाई 2009 में नवीनीकृत) त्रिपक्षीय एमओयू के अनुसार निगम एनपीए को कुल बकाया ऋणों के 10 प्रतिशत की स्वीकृत सीमा के अन्दर सीमित नहीं कर सका। 2008-13 के दौरान एनपीए की कुल बकाया ऋणों से प्रतिशतता 21.06 से 30.47 के मध्य रही। 2008-11 के दौरान वितरण किये गये कुल ₹ 966 करोड़ के ऋणों में से, 16 ऋण खाते (₹ 33.24 करोड़) दो वर्ष की लघु अवधि में एनपीए हो गये जबकि अन्य तीन ऋण खाते (₹ 57.67 लाख) तीन वर्ष के भीतर एनपीए हो गये।

क्षेत्रवार निष्पादन

निगम का मुख्य ध्येय वाणिज्यिक रियल एस्टेट (सीआरई) क्षेत्र को बढ़ावा देना था क्योंकि 2008-13 के दौरान ₹ 1778.72 करोड़ की कुल स्वीकृतियों में से सीआरई क्षेत्र का अंश ₹ 599.73 करोड़ (33.71 प्रतिशत) था। सीआरई क्षेत्र ने 2008-13 के दौरान ₹ 1364.57 करोड़ के कुल वितरणों में से ₹ 527.27 करोड़ (38.64 प्रतिशत) की वित्तीय सहायता प्राप्त की। निगम ने न तो उद्योग वार अवस्थिति सीमाएं निर्धारित की एवं न ही यह सुनिश्चित करने के लिये कोई पद्धति विकसित की कि सीआरई क्षेत्र को दी गई वित्तीय सहायता एक समय विशेष पर निर्धारित सीमाओं से अधिक न हो।

मूल्यांकन, स्वीकृति एवं वितरण

ऋणों के दोषपूर्ण मूल्यांकन/स्वीकृति एवं वितरण के प्रकरण थे यथा क्रेडिट मूल्यांकन मानदण्डों (प्रवर्तकों का पूर्व इतिहास, वित्तीय सुदृढ़ता, प्रस्तावित परियोजना की विपणनता, क्रेडिट सूचना ब्यूरो ऑफ इण्डिया लिमिटेड के प्रतिवेदन इत्यादि) की अनुपालना नहीं की गई थी, प्रवर्तकों के अंशदान की उपयोगिता सुनिश्चित किये बिना, पर्याप्त प्रतिभूति इत्यादि के बिना वितरण के कारण अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान किये गये जिससे ऋण की वसूली में कठिनाईयाँ हुई।

ऋण खातों का पुनर्निर्धारण

2008-13 के दौरान पुनर्निर्धारित किये गये 172 ऋण खातों में से 121 ऋण खाते (70.35 प्रतिशत) पुनर्भुगतान की अन्तिम तिथि से आगे नौ से 96 महीनों के मध्य तक पुनर्निर्धारित किए गये थे। साथ ही, मई 2013 को छः चयनित इकाईयों में 85 पुनर्निर्धारित खातों के 18 उधारकर्ताओं ने ₹ 20.37 करोड़ की देयताओं के पुनर्भुगतान में चूक की। चूककर्ताओं में पाँच उधारकर्ता एवं दो उधारकर्ता वह भी थे जहाँ पुनर्निर्धारण क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय बार किया गया था।

ऋण खातों का निपटान

राज्य स्तरीय समिति एवं प्रधान कार्यालय स्तरीय समिति ने 2008-13 के दौरान 317 प्रकरणों का निपटान ₹ 168.71 करोड़ की बकाया देयताओं के समक्ष ₹ 45.90 करोड़ में किया एवं इस प्रकार ₹ 122.81 करोड़ (72.79 प्रतिशत) की राशि का त्याग किया। निगम ने 39 प्रकरणों का निपटान मूलधन राशि (₹ 4.39 करोड़) से कम ₹ 2.90 करोड़ में किया एवं अन्य 158 प्रकरण, ₹ 72.06 करोड़ की एमआरवी की प्राथमिक व समानान्तर प्रतिभूति की उपलब्धता के बावजूद ₹ 121.13 करोड़ की बकाया राशि के समक्ष मात्र ₹ 29.93 करोड़ में निपटान किए गये थे।

धारा 29 का प्रवर्तन

2008-13 के दौरान विक्रय की गई 109 इकाईयों में से 87 इकाईयाँ पाँच वर्षों के भीतर विक्रय की गई थी, 13 इकाईयाँ पाँच से 10 वर्षों के मध्य विक्रय की गई थी, आठ इकाईयाँ 10 से 20 वर्षों के मध्य एवं एक इकाई अधिगृहित करने के 20 से भी अधिक वर्षों के व्यतीत होने पर विक्रय की गई थी। निगम ने 52 इकाईयों का विक्रय मूलधन राशि की वसूली किए बिना ही किया एवं इन इकाईयों से बकाया मूलधन के पेटे ₹ 3.69 करोड़ का त्याग किया। चयनित शाखा कार्यालयों में 2008-13 के दौरान अधिगृहित की गई 50 इकाईयों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उधारकर्ताओं द्वारा चूक प्रारम्भ करने से धारा 29 के तहत कानूनी नोटिस जारी करने में 100 महीनों तक का विलम्ब था। साथ ही, निगम द्वारा दोषी इकाई को प्रथम नोटिस जारी करने एवं इकाई को अधिगृहित करने के मध्य 109 महीनों तक का समय अन्तराल रहा था। अधिगृहित 51 इकाईयों में से 21 इकाईयों का नवीनतम बाजार मूल्य (₹ 7.31 करोड़) बकाया देयताओं (₹ 21.99 करोड़) को वसूल करने के लिए पर्याप्त नहीं था एवं देयताओं की वसूली के पेटे ₹ 14.68 करोड़ की कमी थी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली

निगम ने 2008-13 के दौरान 2076 प्रकरणों का निपटान किया एवं मार्च 2013 को ₹ 198.75 करोड़ की राशि के 1098 प्रकरण लम्बित थे। 2008-13 के दौरान जिलाधीश ने प्रवर्तकों/ जमानतियों के नाम से सम्पत्तियों की पहचान नहीं होने के कारण 173 मांग के निवेदन-पत्र (आरओडी) वापस किए गये थे। कुल लम्बित प्रकरणों में से नौ चयनित शाखा कार्यालयों से सम्बन्धित 323 प्रकरणों में निगम के पास या तो पर्याप्त प्रतिभूति नहीं थी या प्रवर्तकों/जमानतियों की अन्य सम्पत्तियाँ चिन्हित नहीं की गई थी।

अनुशंसायें

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच अनुशंसायें सम्मिलित हैं जिसमें एमएसएण्डएमई क्षेत्र के संवर्धन हेतु वितरणों में सुधार के लिये वित्त के वैकल्पिक स्त्रोत तलाशना; खातों के एनपीए श्रेणी में परिवर्तन की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु मानक सम्पत्तियों की सघन निगरानी; जोखिम को न्यूनतम करने हेतु स्वीकृति एवं वितरणों के मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना; नियमों के अनुसार देयताओं की वसूली हेतु शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही करना; तथा आन्तरिक नियंत्रण व आन्तरिक अंकेक्षण प्रणाली को सुदृढ़ करना शामिल हैं।

(अध्याय III)

4. व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित व्यवहारिक लेखापरीक्षा आक्षेप पीएसयूज के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियाँ मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों इत्यादि के नियमों व शर्तों की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 5.99 करोड़ की हानि/वसूली नहीं होना।

(अनुच्छेद 4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 एवं 4.9)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 2.32 करोड़ की हानि।

(अनुच्छेद 4.2, 4.3, 4.4 एवं 4.11)

निष्पक्षता/पारदर्शिता एवं परिचालनों में प्रतिस्पर्धात्मकता के अभाव के कारण एक मामले में ₹ 30.42 लाख की हानि।

(अनुच्छेद 4.10)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड ने आपूर्ति आदेशों में तापमान विचरण समायोजन वाक्यांश के सम्मिलित नहीं किये जाने से ₹ 33.51 लाख की न्यूनतम हानि वहन की।

(अनुच्छेद 4.2)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने सुरक्षा निधि की पर्याप्तता की वार्षिक समीक्षा नहीं की जिसके कारण तीन वृत्तों में उपभोक्ताओं की चयनित श्रेणियों में ₹ 18.05 करोड़ की कमी रही।

(अनुच्छेद 4.5)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड द्वारा नियमों के क्रियान्वयन में प्रणालीगत कमियों, जल प्रभारों में संशोधन एवं नियमों में स्पष्टता के अभाव के परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयों को जल की आपूर्ति में हानि उठाई।

(अनुच्छेद 4.7)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड ने नियमों के उल्लंघन में भूमि के विक्रय का नियमन किया एवं ₹ 1.02 करोड़ की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 4.8)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा करार के नियमों व शर्तों तथा नीति के अनुसार पुनःआदेश प्रदान किये जाने में विफलता के कारण ₹ 68.78 लाख का अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

(अनुच्छेद 4.11)